न्यूज़ टुडे

कैबिनेट ने "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता" योजना को मंजूरी दी

इस योजना का परिव्यय **2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये** निर्धारित किया गया है। यह राशि **500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष** के अनुसार भारत सरकार के बजटीय समर्थन से प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) योजना को सहायता अनुदान के बारे में:

- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना।
- **उद्देश्य:** नई परियोजनाएं स्थापित करने, मौजूदा संयंत्रों का विस्तार करने और कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **सहकारी समितियों को ऋण** प्रदान करना।
- **निधि जुटाना:** NCDC द्वारा अनुदान का **चार वर्ष की अवधि में खुले बाजार से अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये जुटाने** के लिए उपयोग किया जाएगा।
- **योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी:** NCDC, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और ऋण की वसूली करना है।
- **प्रदान किए जाने वाले ऋण में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
  - विविध क्षेत्रकों में परियोजना संबंधी सुविधाओं की स्थापना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार के लिए **दीर्घकालिक ऋण**।
  - सहकारी समितियों को अपना व्यवसाय कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से चलाने में सक्षम बनाने के लिए **कार्यशील पूंजी**।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में:

- **उत्पत्ति:** इसे **1963** में एक **वैधानिक निगम** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, पशुधन आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना।

योजना के निहितार्थ/लाभ:

- **सामाजिक-आर्थिक अंतर समाप्त होगा** और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
- **आय सृजन करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण होगा** तथा सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी के रूप में तरलता प्राप्त होगी।
- **क्षमता में वृद्धि होगी** तथा आधुनिकीकरण और विविधीकरण को समर्थन प्राप्त होगा, जिससे लाभप्रदता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

कांडला पत्तन पर स्वदेशी रूप से निर्मित 'ग्रीन हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र' (GHPP) चालू किया गया

यह **1 मेगावाट** का संयंत्र **प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन** का उत्पादन कर सकता है। इसे **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** के माध्यम से विकसित किया गया है।

ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में

- इसे **सौर, पवन** जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसके लिए **विद्युत अपघटन (Electrolysis) के माध्यम से जल के अणुओं (H2O) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित** किया जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग

- **उद्योग:**
  - **इस्पात उत्पादन** में (ब्लास्ट फर्नेस में कोकिंग कोल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना),
  - **रिफाइनरियों और उर्वरक संयंत्रों** में (अमोनिया व मेथनॉल उत्पादन में जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना) आदि।
- **परिवहन:** हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाले ट्रक, बसें आदि।
- **ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संतुलन:** विद्युत की अधिकतम मांग या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित कम विद्युत उत्पादन के दौरान बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में

- **उद्देश्य: भारत** को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों (Derivatives) के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिए एक **वैश्विक केंद्र** बनाना।
- **लक्ष्य: 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन** का उत्पादन करना।
- **मंत्रालय:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **घटक:**
  - **स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (SIGHT) कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य **इलेक्ट्रोलाइजर** के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करना है। साथ ही, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  - इस्पात, मोबिलिटी, शिपिंग आदि के लिए **पायलट परियोजनाएं**।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन हब** का विकास करना।

ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने के समक्ष चुनौतियां

- **आर्थिक रूप से व्यवहार्यता:** ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की वर्तमान लागत ($4 से $6 प्रति किलोग्राम) अभी भी अधिक है।
- **हाइड्रोजन भंडारण में कठिनाई:** इसके लिए हाई प्रेशर वाले टैंक और क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है।
- **संसाधन की कमी:** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन हेतु लगभग 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
- **ऊर्जा स्रोत:** विद्युत अपघटन में प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए 48 kWh बिजली की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **लागत कम करना:** यह GST दर को कम करके तथा कम लागत वाली **ओपन-एक्सेस विद्युत और हरित ऋण** आदि उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।
  - **ओपन-एक्सेस विद्युत:** उपभोक्ता (औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत) बिजली उत्पादक (जनरेटर) से सीधे बिजली खरीद सकता है।
  - **हरित ऋण:** पर्यावरण-अनुकूल या जलवायु-संबंधी परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए दिया जाता है
- **प्रोत्साहन:** उदाहरण के लिए- निर्यात बाजारों को लक्षित करते हुए हरित इस्पात (Green Steel) के लिए PLI योजना।
  - **हरित इस्पात:** यह एक ऐसा इस्पात है, जिसका उत्पादन पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम या लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ किया जाता है।
- **वित्त:** भारत को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए **2030 तक 1 बिलियन डॉलर का निवेश** करना चाहिए।
- **बाज़ार निर्माण:** कुछ क्षेत्रकों के लिए **ग्रीन हाइड्रोजन क्रय संबंधी बाध्यता (GHPO)** लागू करनी चाहिए।

कैबिनेट ने 'प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)' के लिए अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी

कैबिनेट ने **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना** (PMKSY) के लिए **15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26 तक)** के लिए **6,520 करोड़** रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है।

कैबिनेट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना (ICCVAI):** इस योजना के तहत **1,000 करोड़ रुपये** का आवंटन किया गया है। इस आवंटन का उद्देश्य PMKSY की ICCVAI घटक योजना के तहत **50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों** की स्थापना में सहायता करना है।
- **खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI):** इस घटक के तहत **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला बोर्ड (NABL) से प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं** (FTLs) को समर्थन देना भी शामिल है।
  - ये प्रयोगशालाएं **खाद्य नमूनों का परीक्षण करने के लिए उन्नत अवसंरचनाएं** विकसित करेंगी। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य संरक्षा मानकों का पालन हो और लोगों को सुरक्षित भोजन की आपूर्ति हो।

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बारे में

- **शुरुआत:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है। इसे **केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** द्वारा **2017-18** से लागू किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना** तैयार करना है।
- PMKSY एक **मांग-आधारित योजना** है, जो किसी राज्य, जिले, क्षेत्र या फसल विशेष पर आधारित **नहीं** है।
- **घटक:** इसके प्रमुख घटकों में ICCVAI, FSQAI, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/ विस्तार तथा **ऑपरेशन ग्रीन्स** शामिल हैं।
- **प्रगति:** 30 जून 2024 तक, PMKSY के तहत **1217 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं** स्वीकृत की गई हैं। इनसे **22,610.06 करोड़ रुपये का निजी निवेश** आकर्षित हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद से 'अयोग्यता पर निर्णय लेने संबंधी अध्यक्ष के अधिकार' पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य (2025)** मामले में तेलंगाना के 10 विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में **अध्यक्ष द्वारा की गई काफी देरी को गंभीरता** से लिया है।

मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

- कोर्ट ने इस संबंध में **विधान सभा अध्यक्ष की निष्क्रियता की आलोचना की और संबंधित हाई कोर्ट के आदेश को रद्द** कर दिया। साथ ही, 31 जुलाई 2025 से **तीन महीने के भीतर कार्यवाही को पूरा करने का निर्देश** भी दिया।
- कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष को एक **अधिकरण** के रूप में कार्य करते हुए कार्यवाही को लंबा नहीं खींचना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे "ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज मर गया" जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, इस विषय पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित कानून के उद्देश्य भी विफल हो जाते हैं।
- कोर्ट ने संसद से अपील की है कि वह **प्रावधानों पर पुनर्विचार** करे तथा अयोग्यता संबंधी निर्णयों के लिए एक वैकल्पिक एवं स्वतंत्र व्यवस्था बनाने पर विचार करे। ऐसा इस कारण, क्योंकि इस विषय पर वर्तमान में हो रहे विलंब से **दसवीं अनुसूची का उद्देश्य** विफल हो रहा है।

अन्य संबंधित निर्णय

- **किहोतो होलोहन बनाम जाचीलू वाद (1992):** इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि **अध्यक्ष एक अधिकरण की तरह काम करता है और उसके अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटियों के मामले में उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन** होता है। अतः **"क्विया टिमेट एक्शन" (निवारक निषेधाज्ञा)** सिद्धांत के तहत निर्णय देने से पहले न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।
- **कीशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020):** इसमें कोर्ट ने अध्यक्ष को यह निर्देश दिया कि वह अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर **तीन महीने के भीतर** निर्णय करे।
  - इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि इस विषय पर त्वरित एवं निष्पक्ष निर्णय के लिए अध्यक्ष के स्थान पर एक **स्वतंत्र अधिकरण की स्थापना** की जानी चाहिए।

सांसदों या विधायकों की अयोग्यता के बारे में

- **दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून):** इसे **संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना और लोकतंत्र की रक्षा करना है।
- इसने **अध्यक्ष/ सभापति को निर्भीक और शीघ्र निर्णय** लेने का दायित्व सौंपा है, ताकि न्यायालयों से होने वाली लंबी देरी से बचा जा सके।
- **अयोग्यता के आधार:**
  - स्वेच्छा से अपने **दल की सदस्यता त्यागना;**
  - मतदान के दौरान अपने **पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना;**
  - यदि कोई **निर्दलीय रूप से निर्वाचित सांसद या विधायक** किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है;
  - यदि कोई **मनोनीत सदस्य** सांसद या विधायक बनने के **6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल** होता है।

स्टारलिंक को भारत में 'सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं' शुरू करने का लाइसेंस मिला

स्टारलिंक परियोजना **स्पेसएक्स द्वारा निम्न-भू कक्षा में स्थापित उपग्रह समूह (Satellite Constellation) सिस्टम है।** इसका उद्देश्य **वैश्विक इंटरनेट कवरेज** प्रदान करना है।

सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के बारे में

- **परिभाषा:** सैटेलाइट इंटरनेट या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड **पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों** के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक **वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है।**
- **महत्व**
  - **डिजिटल विभाजन को कम करना:** यह दूरस्थ क्षेत्रों सहित हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
  - **आपदा प्रबंधन को बढ़ावा: आपदा-प्रवण या भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों** (जैसे, सियाचिन, पूर्वोत्तर भारत आदि) में संचार हेतु सहायता प्रदान करता है।
  - **उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समर्थन:** यह ग्रामीण भारत में **स्मार्ट कृषि, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा** को अपनाने में सुविधा प्रदान करता है।
  - **सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोग:** अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों (जैसे- सियाचिन ग्लेशियर) में बेहतर इंटरनेट सुविधा के लिए **भारतीय सेना द्वारा पहले से ही इसका उपयोग** किया जा रहा है।
- **चुनौतियां**
  - **अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च लागत:** पारंपरिक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तुलना में यह बहुत अधिक महंगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवहार्यता सीमित हो जाती है।
  - **मांग-आपूर्ति असंतुलन:** शहरी क्षेत्रों में पहले से ही सस्ते व तेज ब्रॉडबैंड विकल्प मौजूद हैं।
  - **अवसंरचना संबंधी एवं तकनीकी बाधाएं:** इसमें उपग्रह एवं टर्मिनल की अधिक लागत; लेटेंसी एवं बैंडविड्थ संबंधी चिंताएं आदि शामिल हैं।
  - **अन्य:** डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं, विनियामक बाधाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे आदि मौजूद हैं।
- **आगे की राह:**
  - **उपग्रह आधारित इंटरनेट का उपयोग एक सहायक समाधान के रूप में करना:** इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा सकता है।
  - **हाइब्रिड मॉडल:** दक्षता को अधिकतम करने के लिए उपग्रह और स्थलीय नेटवर्क को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।
  - **आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर ध्यान देना:** इसमें हार्डवेयर लागत कम करना, स्थानीय आधार पर मूल्य निर्धारण करना और भारतीय दूरसंचार कंपनियों के साथ सहयोग करना शामिल है।

ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) पर श्वेत-पत्र भारत के समुद्री संसाधनों की क्षमता को प्रकट करने का रोडमैप प्रस्तुत करता है

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने संसद को सूचित किया कि "**भारत की नीली अर्थव्यवस्था का रूपांतरण: निवेश, नवाचार और सतत विकास**" शीर्षक वाले श्वेत-पत्र में **वर्ष 2035** तक का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

- इसका उद्देश्य व्यवहार्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देना तथा नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

ब्लू इकोनॉमी क्या है?

- **परिभाषा:** ब्लू इकोनॉमी में **समुद्री संसाधनों के साथ-साथ समुद्री, सामुद्रिक और तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित अवसंरचना** भी शामिल हैं। यह **आर्थिक संवृद्धि, पर्यावरणीय संधारणीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा** में योगदान देती है।
- **महत्त्व:** भारत की ब्लू इकॉनमी, **11,098 किमी लंबी तटरेखा और 2.4 मिलियन वर्ग किमी अनन्य आर्थिक क्षेत्र** (EEZ) पर आधारित है। यह राष्ट्रीय संवृद्धि का प्रमुख इंजन है और '**विकसित भारत 2047**' का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- **क्षेत्रक-विशिष्ट चुनौतियां**

क्षेत्रक	पर्यावरणीय	नीति व गवर्नेंस	तकनीकी व अवसंरचना	वित्तीय व निवेश	सामाजिक व समानता
समुद्री जीवित संसाधन	अति-मत्स्यन, प्रदूषण (मैंग्रोव, प्रवाल), मत्स्य भंडार पर जलवायु का प्रभाव आदि।	मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी।	कोल्ड चेन की कमी, आधुनिक तकनीक की कमी, सीवीड/ केज फार्मिंग आदि।	सीमित ऋण, कम निजी निवेश, कमजोर बीमा पैठ आदि।	तटीय समुदायों का विस्थापन और बेदखली; लाभ एवं लागत का असमान वितरण आदि।
अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा	समुद्री नितल का क्षरण, चक्रवात जोखिम आदि।	एकीकृत ढांचे की आवश्यकता।	विकासशील ट्रांसमिशन अवसंरचना, आयात लागत अधिक होना आदि।	दीर्घकालिक वित्त-पोषण की कमी।	कौशल की कमी, तटीय समुदाय की कम भागीदारी आदि।
तटीय पर्यटन और धरोहर संरक्षण	बंदरगाह प्रदूषण, जलवायु से जुड़े चक्रवात आदि।	कमजोर केंद्र-राज्य समन्वय	उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, सीमित शिपबिल्डिंग क्षमता आदि।	कम निजी निवेश, कमजोर वित्तीय मॉडल आदि।	उच्च कौशल वाली नौकरियों की कमी, महिलाओं की कम भागीदारी आदि।

प्रमुख सिफारिशें

- **मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय** और डेटा साझा करने के तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **ब्लू बॉन्ड, मिश्रित वित्त-पोषण, सॉवरेन गारंटी और PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)** जैसे साधनों के माध्यम से निजी एवं वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिए।
- **सफल राज्य-स्तरीय मॉडल्स को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए,** जैसे **ओडिशा** में महिलाओं के नेतृत्व में सीवीड की खेती, **कोच्चि** में स्मार्ट पोर्ट और **अंडमान** द्वीप समूह में इको-टूरिज्म आदि।

अन्य सुर्खियां

क्रोमर रक्त समूह

दुनिया में अब तक अज्ञात एक नए **दुर्लभ रक्त समूह** की खोज की गई।

क्रोमर (CR) रक्त समूह के बारे में

- CR रक्त समूह **लाल रक्त कोशिकाओं** पर पाए जाने वाले **एंटीजन** का समूह है। ये एंटीजन **डिके-एक्सेलेरेटिंग फैक्टर (Decay-Accelerating Factor - DAF) या CD55 पर मौजूद** होते हैं।
  - रक्त समूह एंटीजन वे अणु होते हैं जो **लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर** पाए जाते हैं।
- इस रक्त समूह प्रणाली में **12 हाई-प्रेवलेन्स** और **तीन लो-प्रेवलेन्स** एंटीजन होते हैं।
- इसकी उत्पत्ति को मान्यता देते हुए, इस नए रक्त समूह को आधिकारिक तौर पर 'CRIB' नाम दिया गया है। इसमें **CR का मतलब क्रोमर** और **IB का मतलब इंडिया, बेंगलुरु** है।
- **दुर्लभ रक्त प्रकार:** किसी व्यक्ति का रक्त प्रकार तब दुर्लभ माना जाता है जब वह **केवल 0.1% आबादी** में मौजूद हो।

आभा (ABHA) ID

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को सभी मरीजों के लिए रोगी पंजीकरण के साथ-साथ **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा/ABHA) ID दर्ज करने का निर्देश दिया है।**

आभा ID के बारे में

- यह **14 अंकों की संख्या है** जो भारत की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली में मरीजों की विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
- इसे देश भर के **स्वास्थ्य-देखभाल सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा।**
- **स्वैच्छिक ऑप्ट-आउट:** मरीज अपनी इच्छा से इसमें भाग ले सकते हैं और किसी भी समय वे अपने ABHA नंबर को स्थायी रूप से हटाने या अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में

- **उद्देश्य:** देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को समर्थन देने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करना।

प्रोजेक्ट 17A

हाल ही में, भारतीय नौसेना को **एडवांसड गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरि सौंपा गया।** यह **नीलगिरि क्लास (प्रोजेक्ट 17A)** का तीसरा पोत है।

- **फ्रिगेट्स का उद्देश्य** बेड़े के अन्य जहाजों को समुद्री खतरों, विशेषकर पनडुब्बियों से रक्षा करना होता है।

प्रोजेक्ट 17A के बारे में

- यह शिवालिक-क्लास (परियोजना 17) **की अगली कड़ी** है।
- इस परियोजना के तहत **सात फ्रिगेट** मझगांव डॉक (मुंबई) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) कोलकाता द्वारा **स्वदेशी रूप से** बनाए जा रहे हैं।
- **स्टील्थ और आधुनिक युद्ध के लिए तैयार:** ये पोत **ब्लू-वॉटर अभियानों** के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पारंपरिक और अपारंपरिक, दोनों प्रकार के खतरों से निपटा जा सके।
- इस श्रेणी के पोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक, बराक 8 मिसाइल प्रणाली, आदि से लैस है।

अपर न्यायाधीश (Additional Judges)

भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

अपर न्यायाधीशों के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 224 के तहत** अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम **दो वर्ष की अवधि के लिए की जाती है** और नियुक्त न्यायाधीश **62 वर्ष की आयु तक** ही पद पर बने रह सकते हैं।
- **नियुक्ति के कारण:** जब किसी उच्च न्यायालय में कार्यभार में अस्थायी वृद्धि हो या **लंबित मामलों की संख्या अधिक हो,** तब इनकी नियुक्ति की जाती है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को **स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों में 75:25 के अनुपात में** विभाजित किया जाता है।

लोक-सभा अध्यक्ष के पैनल का नामांकन

लोक-सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए एक **सांसद को लोक-सभा अध्यक्ष पैनल में नामित** किया है।

अध्यक्षों के पैनल के नामांकन के बारे में

- लोक सभा के **प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की धारा 9 में कहा गया है कि:**
  - सत्र के आरंभ में या आवश्यकतानुसार, लोक-सभा अध्यक्ष अधिकतम **10 सांसदों को** अध्यक्ष के पैनल के रूप में नामित कर सकते हैं।
  - **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति** में पैनल में नामित कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
    - ऐसा तभी किया जा सकता है जब **लोक-सभा अध्यक्ष द्वारा अनुरोध** किया गया हो या, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो **उपाध्यक्ष** द्वारा अनुरोध किया गया हो।
  - नामित अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि **नया पैनल नियुक्त नहीं हो जाता।**
  - यदि सत्र के दौरान पैनल का कोई सदस्य भी उपस्थित न हो, तो सदन द्वारा निर्धारित कोई अन्य सदस्य लोक-सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभाता है।
  - यदि **लोक-सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त** हो, तो पैनल के सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते; ऐसे में **राष्ट्रपति किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष** के रूप में नियुक्त करते हैं।

डार्विन ट्री ऑफ लाइफ (DTOL)

डार्विन ट्री ऑफ लाइफ (DTOL) प्रोजेक्ट का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है।

डार्विन ट्री ऑफ लाइफ (DTOL) प्रोजेक्ट के बारे में

- **इस प्रोजेक्ट** का उद्देश्य **ब्रिटेन और आयरलैंड में पाई जाने वाली 70,000 यूकैरियोटिक प्रजातियों** के जीनोम का अनुक्रमण करना है।
- DTOL, **अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट** (EBP) की कई पहलों में से एक है।
  - EBP एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें शोधकर्ता, संस्थान और संबद्ध प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
  - **EBP का लक्ष्य** दस वर्षों की अवधि में पृथ्वी पर मौजूद सभी **यूकैरियोटिक प्रजातियों** के जीनोम का अनुक्रमण, वर्गीकरण और लक्षण वर्णन करना है।
    - **यूकैरियोटिक** एक प्रकार की कोशिका होती है जिसमें **केंद्रक** और अन्य झिल्ली-बद्ध कोशिकांग (Organelles) होते हैं।

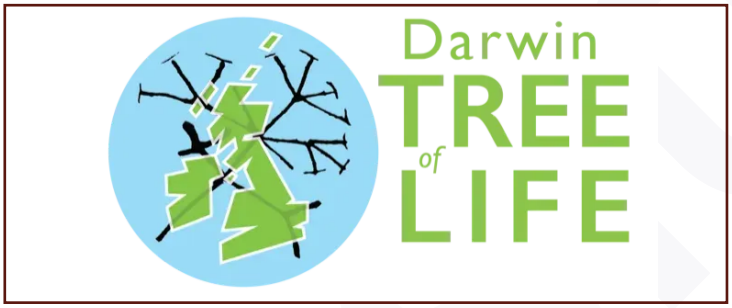

भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल (Indo-Burma Ramsar Regional Initiative: IBRRI)

रामसर कन्वेंशन पर पक्षकारों का 15वां सम्मेलन (COP-15) जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के साथ **आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए IBRRI** कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल (IBRRI) के बारे में

- **उद्देश्य: रामसर कन्वेंशन की रणनीतिक योजना के उद्देश्यों को लागू करने** में मदद करना। IBRR का सचिवालय IUCN में स्थित है।
- **यह IUCN की ब्रिज/BRIDGE** (बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस) परियोजना द्वारा समर्थित है।
- **सदस्य देश:** कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम।
- **COP15 में 'रणनीतिक योजना 2025-2030' का शुभारंभ:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों में आर्द्रभूमि के नुकसान को रोकना और आर्द्रभूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाना है।

ब्रिज/BRIDGE (बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस) के बारे में

- **उद्देश्य:** साझा जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और देशों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना।

फ्लैगेलिन

ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने आंत में एक नए **"सेंस" (इंद्रिय)** का सुझाव दिया है। इसका संबंध **माइक्रोबायोम** से बताया गया है।

- माइक्रोबायोम बैक्टीरिया, कवक, वायरस और आर्किया का एक समुदाय है। यह **रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य** को प्रभावित करता है।

फ्लैगेलिन के बारे में

- इस माइक्रोबायोम के भीतर, बैक्टीरिया के **फ्लैगेला, फ्लैगेलिन** नामक एक प्राचीन प्रोटीन उत्सर्जित करता है।
  - **फ्लैगेला में** गति के लिए पूंछ जैसी संरचनाएं होती हैं।
- **कार्यप्रणाली:**
  - **न्यूरोपॉड नामक** आंत की कुछ विशेष कोशिकाएं TLR5 **रिसेप्टर** का उपयोग करके **फ्लैगेलिन** का पता लगाती हैं।
  - इसके बाद, ये न्यूरोपॉड **वेगस तंत्रिका** के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं। **वेगस** शरीर की सबसे लंबी स्वायत्त तंत्रिका है,
  - यह प्रक्रिया **भूख को नियंत्रित करने** में मदद करती है।
- **महत्त्व:**
  - इस खोज से **मोटापा, अवसाद और चिंता** जैसी बीमारियों के लिए नए उपचार विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

गोस्वामी तुलसीदास

हाल ही में महान वैष्णव संत **गोस्वामी तुलसीदास** की **500वीं जयंती** मनाई गई।

गोस्वामी तुलसीदास के बारे में

- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के **बांदा जिले** में हुआ था।
- उनका वास्तविक नाम **रामबोला दुबे** था।
- वे मुगल बादशाह **अकबर के समकालीन** थे।

प्रमुख योगदान

- उन्होंने **अवधी भाषा** में **रामचरितमानस** की रचना की।
- उन्होंने भगवान राम की कथा को क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत करके इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया।
- **अन्य साहित्यिक रचनाएं:** दोहावली, साहित्य रत्न या रत्न रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली या कृष्णावली, विनय पत्रिका, आदि।